<u>अन्तर्गत न्यायालयः–मुंसिफ, रोसड़ा</u>
अधिकार वाद संख्या–89/2018

<u>07.06.2022</u> वादी की ओर से हाजरी दी गयी। प्रतिवादी अनुपस्थित है।

वाद पुकारा गया। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता दाखिल संशोधन आवेदन शपथ पत्र से सम्पुष्ट दिनांक–31.07.2019 को चालित कर प्रार्थना करते हैं कि वाद–पत्र में कुछ लिपिकीय भूल हो गई है, जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत संशोधन से वाद–पत्र की प्रकृति में कोई परिवर्त्तन नहीं आता है वो भी उक्त संशोधन से प्रतिवादियों को कोई हानि नहीं है। इस वाद में अभी वाद विषय भी निर्धारित नहीं हुआ है। अतएव श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि उक्त संशोधन आवेदन को स्वीकार कर संशोधन किये जाने की अनुमति देने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता हैं कि उक्त वाद प्रतिवादी के प्रत्युत्तर पर लंबित चल रहा है तथा वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन में लिपिकीय भूलवश कुछ भूल हो गई है, जिसे स्वीकार किया जाना आवश्यक है। संशोधन आवेदन एक सामान्य प्रकृति का है जिसे स्वीकार करने वाद वाद की प्रकृति नहीं बदलती है। प्रतिवादी की ओर से कोई प्रत्युत्तर भी दाखिल नहीं किया गया है। वादी के उक्त संशोधन आवेदन को स्वीकार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन शपथ पत्र से सम्पुष्ट दिनांक–31.07.2019 को न्यायहित में **स्वीकार** किया जाता है। वादी समय सीमा के अन्दर वाद पत्र में संशोधन करें।

दिनांक– वास्ते करने संशोधन।

लेखापित

मुंसिफ